व्यापार अनुज्ञप्ति अधिसूचना

कोरबा दिनांक 12/11/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, की धारा 132 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) सहपठित धारा 433 के तहत छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025' की अधिसूचना जारी किया गया है। नए प्रावधानों के तहत व्यापार परिसर दुकान, बाजार/हाट, गुमटी, ठेले और वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वालों को पंजीयन तथा उपयोग की अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुज्ञप्ति व्यापार करने पर नोटिस एवं जुर्माना की कार्यवाही की जावेगी। दर तालिका निम्नानुसार है :–

1. सड़क की चौड़ाई पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क :–

निकाय का नाम	सड़क की चौड़ाई रूपये प्रति वर्गफुट वार्षिक		
	7.5 मीटर से कम	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	15 मीटर से अधिक
नगर पालिक निगम कोरबा	4	5	6

2. व्यापार परिसर की अवस्थिति पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क :–

निकाय का नाम	व्यापार परिसर की अवस्थित रूपये प्रति वर्गफुट वार्षिक		
	मोहल्ला/कालोनी में	छोटे और मध्यम आकार के बाजारों में	वृहद बाजारों में
नगर पालिक निगम कोरबा	4	5	6

टीप :– निकाय में स्थित, ऐसे समस्त व्यावसायिक परिसर जो इन बाजारों में अवस्थित ना हो, के संबंध में, तालिका–ए (1) की दरें अवधारित की जायेगी। परन्तु वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की अधिकतम राशि रूपये 30,000/– से अधिक नहीं होगी।

3. गुमटी/कच्ची दुकानों एवं वाहनों के माध्यम से किए जाने वाले व्यापार के लिए न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क :–

निकाय का नाम	गुमटी/कच्ची दुकान प्रति दुकान वार्षिक	मोटरयान (मिनी ट्रक/पिकअप वेन/जीप इत्यादि) प्रति वाहन वार्षिक	ऑटो रिक्शा/तिपहिया वाहन इत्यादि प्रति वाहन वार्षिक
नगर पालिक निगम कोरबा	250	400	250

नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत बाजारों/हाटों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :--

स.क्र.	व्यापार परिसर की अवस्थिति (मोहल्ला/कालोनी में/छोटे और मध्यम आकार के बाजारों में/वृहत बाजारों में)	बाजार/हाट का नाम
1	वृहद बाजार	कोरबा इतवारी आम बाजार एवं हटरी
2	वृहद बाजार	बुधवारी दैनिक आम बाजार एवं हटरी
3	वृहद बाजार	मुड़ापार आम बाजार
4	वृहद बाजार	बालको परसाभांठा आम बाजार एवं हटरी
5	वृहद बाजार	दर्री आम बाजार एवं हटरी
6	वृहद बाजार	कुसमुण्डा आम बाजार
7	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	बलगी आम बाजार
8	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	भैरोताल आम बाजार
9	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	जेल बस्ती आम बाजार
10	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	मानिकपुर आम बाजार
11	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	जमनीपाली आम बाजार
12	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	सिविक सेन्टर बालको हटरी
13	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	रिस्दी आम बाजार
14	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	कोसाबाड़ी हटरी
15	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	दादरखुर्द आम बाजार
16	छोटे और मध्यम आकार के बाजार	बरमपुर आम बाजार

उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025, की अधिसूचना के प्रावधानों के तहत नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के भीतर व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में मुख्य कार्यालय ''साकेत'' भवन के राजस्व शाखा/जोन कार्यालयों में सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु नगर पालिक निगम कोरबा मुख्य कार्यालय ''साकेत'' भवन के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित ।

राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)